न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
136 / 2023 प्रा.पत्र / 2023	26.12.2023	05.03.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री भागचन्द अग्रवाल पुत्र श्री हरिनारायण अग्रवाल निवासी 72 आदर्श नगर टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री हरि एजेन्सीज गुर्जर छात्रावास के पास सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक। पिनकोड–304001 मोबाईल नं. 9214811358
2–मैसर्स श्री हरि एजेन्सीज गुर्जर छात्रावास के पास सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक। पिनकोड–304001

............अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (v)एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी स्वयं भागचन्द अग्रवाल उपस्थित।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 05.03.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.07.2023 को समय 12:40 पीएम पर मैसर्स श्री हरि एजेन्सीज गुर्जर छात्रावास के पास सवाई माधोपुर रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री भागचन्द अग्रवाल पुत्र श्री हरिनारायण अग्रवाल दुकान पर खाद्य पदार्थ गुड,तेल,घी,मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री भागचन्द अग्रवाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. / मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान में गुड़,तेल,घी, मसाले के साथ–साथ दुकान में कागज के एक कार्टून में लगभग 40 पैकेट मूल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक एंव 1–1 लीटर पैक के 20 मूल पैक **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षाा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री भागचन्द अग्रवाल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री भागचन्द अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर ए–168 एवं पैकिंग की दिनांक अप्रेल 2023 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 एम.एल. पैक के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत 1080/रूपये विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** 500–500 एम. एल. मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग कागज के गत्ते के चार डिब्बों में प्रत्येक में एक–एक पैक रखकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3671 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3671 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की। साथ ही शेष बचे खाद्य पदार्थ **घी (कृष्णा ब्राण्ड)**) के 500–500 एम.एल. पेक के 36 मूल पेक एंव 1–1 लीटर पेक के 20 मूल पैक कुल मात्रा 38 लीटर को खाद्य पदार्थ एंव मानक अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार सील कर श्री भागचन्द अग्रवाल को सुरक्षित अभिरक्षा में संभलवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चोथा भाग डी. ओ. कम मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को दिनांक 6–7–2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई।

विक्रेता श्री भागचन्द अग्रवाल पुत्र श्री हरिनारायण अग्रवाल ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/755 दिनांक 03.08.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./2745/एक्ट/2023/2846 दिनांक 18.07.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व रेगुलेशन नं0 2.3.7.(2)के अुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व रेगुलेशन नं0 2.3.7.(2)के अुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व रेगुलेशन नं0 2.3.7.(2)के अुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है, तथा मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जप्त शुदा 38 लीटर **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** जो जांच में **(Sub-Standard)** स्तर का पाया गया है, को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की निगरानी मे नियमानुसार निस्तारण करवाकर की गई कार्यवाही से न्यायालय हाजा को अवगत करावे। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 05.03.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0